पुलिस व्यवस्था और मानव अधिकार

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (भारत)

पुलिस व्यवस्था
और
मानव अधिकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110 001

पुलिस व्यवस्था और मानव अधिकार

प्रथम संस्करणः 10 दिसम्बर 2010

© 2010 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110 001

मुद्रक : श्री गणेश एसोसिएट्स
सी–83/11, गली नं. 7, मोहनपुरी, मौजपुर दिल्ली–110053

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन		1–3
अध्याय 1	गिरफ्तारी	4–10
अध्याय 2	हिरासत	11–13
अध्याय 3	महिलाओं की सुरक्षा	14–16
अध्याय 4	बच्चों की सुरक्षा	17–20
अध्याय 5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का संरक्षण	21–22
अध्याय 6	वरिष्ठ नागरिको के अधिकारों की रक्षा	23–24
अध्याय 7	अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण	25–27
अध्याय 8	जबरन/बंधुआ मजदूरी एवं पुलिसिंग	28–29
अध्याय 9	मुठभेड़	30–32
अध्याय 10	आतंकवाद और पुलिसिंग	33–36

प्राक्कथन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह मानना है कि पुलिस व्यवस्था और मानव अधिकार राज्य और नागरिक दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मसले हैं।

आज के युग में पुलिस की भूमिका कानून के नियमों का पालन करने के अतिरिक्त अपराध को रोकने एवं उसकी छानबीन करना भी है। वे न केवल मानव जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करते हैं अपितु उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे अल्पसंख्यकों, समाज के दरिद्र वर्गों, महिलाओं, इत्यादि के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के उद्देष्य से महत्वपूर्ण सामाजिक विधानों का भी कार्यान्वयन करें।

इस उद्देश्य का प्रभावी कार्यान्वयन तभी संभव है जब पुलिसकर्मी विशिष्ट मानव अधिकारों के प्रति भली–भाँति भिज्ञ हों। परन्तु पुलिस कर्मियों के कर्त्तव्यों

की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें अपराध के पीड़ितों के साथ–साथ कानून का उल्लंघन करने वालों से निपटना होता है इसीलिए पुलिस को व्यक्तिगत अधिकारों विशेष रूप से समाज के उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए उनसे गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में, मानव अधिकारों के प्रति सम्मान केवल अधिकारों का विषय नहीं है अपितु यह वास्तव में पुलिस को कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करना है।

आयोग द्वारा प्रकाशित ये दिशानिर्देश विशेष रूप से कांस्टबलों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रायः वे अपने–आपको मानव अधिकारों के प्रथम संरक्षक की भूमिका में पाते हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य उन्हें अपने कार्यो का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना है।

इस पुष्तिका की रूप रेखा तैयार करने, इसके संकलन एवं प्रथम कुछ अध्यायों के लेखन हेतु, आयोग, अनुसंधान अधिकारी, डॉ. अर्पणा श्रीवस्तव के प्रयासों का अभिलेख करना चाहेगा। अन्य अध्यायों को लिखने में अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों ने भी अपना योगदान दिया है। इस परियोजना को आयोग के उप महानिरीक्षक श्री सतिन्द्र पाल सिंह आई.पी.एस. के पर्यवेक्षण और महानिदेशक अन्वेषण, श्री सुनील कृष्ण आई.पी.एस. के समग्र मार्गदर्शन में कार्यान्वित किया गया।

10 दिसम्बर, 2010

पी.सी.शर्मा
सदस्य
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्याय–1
गिरफ्तारी

कानून पुलिस को कुछ निश्चित परिस्थितियों में लोगों को गिरफ्तार करने और यदि आवश्यक हो तो ऐसा करने के लिए बल प्रयोग का अधिकार देता है।[1]

अध्ययन से पता चलता है कि निरोधात्मक गिरफ्तारियों और छोटे अपराधों के लिए हुई गिरफ्तारियों की संख्या बहुत अधिक है और विचाराधीन कैदियों की संख्या का प्रतिशत असामान्य रूप से अत्यधिक है और उनमें से ज्यादातर इसलिए जेल में हैं क्योंकि वे जमानत नहीं दे सकते।[2]

गिरफ्तारी और निरोध से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचती हैं। दुर्भाग्य से हमारी व्यवस्था में अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किए गए लोगों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

1. सी.आर.पी.सी. की धारा 46

2. भारतीय विधि आयोग– गिरफ्तारी से संबंधित कानून पर परामर्श दस्तावेज, नवम्बर, 2000

ऐसा करें

1. यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया को छोड़कर उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। (भारतीय संविधान का अनुच्छेद–21)

2. यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान उसके नाम पट्ट और पद द्वारा स्पष्ट होनी चाहिए। (गिरफ्तारी संबंधी मार्ग–दर्शन, डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी.60)

3. यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी संबंधी सम्पूर्ण विवरण या गिरफ्तारी के कारण के संबंध में बताया जाए (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22)

4. यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तार व्यक्ति के किसी रिश्तेदार या मित्र को उसकी गिरफ्तारी तथा उसे निरुद्ध रखे गए स्थान के संबंध में सूचित किया जाए {सी.आर.पी.सी. की धारा 50ए (1)},

5. यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के संबंध में सूचित किए गए व्यक्ति से संबंधित सूचना को पुलिस स्टेशन में रखी निर्दिष्ट पंजी में दर्ज किया जाए। {सी.आर.पी.सी. की धारा 50ए (3)},

6. यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी के समय यदि गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर चोटें पाई जाती हैं तो उनका विवरण गिरफ्तारी मेमो में दर्ज किया जाए और गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए।

7. यह सुनिश्चित करें कि अपवाद परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी महिला को सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य गिरफ्तार न किया जाए। {(सी.आर.पी.सी.

की धारा 46 (4)}

8. यह सुनिश्चित करें कि किसी महिला को गिरफ्तार करते समय महिला पुलिस अधिकारी को साथ रखा जाए। {सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 46(4)}

9. यह सुनिश्चित करें कि किसी किशोर या बालक को गिरफ्तार करते समय किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का बल प्रयोग या मार–पिटाई न की जाए। किशोरों और बच्चों को गिरफ्तार करते समय सम्मानजनक नागरिकों का सहयोग लिया जा सकता है।

10. यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति की मानव गरिमा की रक्षा की जाए। गिरफ्तार व्यक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन या उसकी परेड निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

11. यह सुनिश्चित करें कि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी की

जानी चाहिए। अनावश्यक बल प्रयोग से बचना चाहिए और व्यक्ति की निजता का ध्यान रखा जाना चाहिए। महिलाओं की तलाशी शिष्टता को ध्यान में रखते हुए केवल महिलाओं द्वारा की जानी चाहिए। {सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 51 (2)}

12. यह सुनिश्चित करें कि यदि व्यक्ति को किसी जमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी को उसे जमानत पर रिहा होने के उसके हक के संबंध में सूचित करना चाहिए ताकि वह अपनी जमानत का प्रबंध कर सके।

13. यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी एवं निरुद्ध रखे गए स्थान के संबंध में सूचना बिना विलम्ब पुलिस कंट्रोल रूम और जिला/राज्य मुख्यालय को दी जानी चाहिए।

ऐसा न करें

1. वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए जब तक कि अन्वेषण के आधार पर तर्कसंगत निष्कर्ष पर न पहुँचा जाए कि वह व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध में शामिल है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है। {सी.आर.पी.सी. की धारा 41}

2. जब तक किसी अन्य प्रकार से किसी अपराध को रोकना संभव न हो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नही किया जाए {सी.आर.पी.सी. की धारा 151}

3. गिरफ्तार व्यक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाए।

4. किसी मामले से संबंधित किसी महिला या 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के किसी बच्चे को पुलिस

स्टेशन न बुलाया जाए। पुलिस अधिकारी महिला/अवयस्क से पूछताछ केवल उनके निवास स्थान पर कर सकते है। {सी.आर.पी.सी. की धारा 160 (1)}

5. बिना मजिस्ट्रेट के अभिव्यक्त आदेश के किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा निरूद्ध न रखा जाए। {सी.आर.पी.सी. की धारा 57}

6. हथकड़ी और बेड़ियों का प्रयोग तब तक न करें। जब तक ऐसा करने के लिए कारणों को रिकार्ड नहीं किया जाता और न्यायालय से इस संबंध में आदेश प्राप्त नहीं किए जाते।

अध्याय– 2

हिरासत

कोई भी व्यक्ति चाहे उसे पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए, निरूद्ध रखा गया हो या उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए या अल्कोहल स्तर जाँचने के लिए पुलिस द्वारा निरूद्ध किया गया हो वह पुलिस की अभिरक्षा में होता है और इसीलिए वह राज्य के संरक्षण में होता है। राज्य का यह दायित्व है कि वह अपनी अभिरक्षा में सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करे।

ऐसा करें

1. यह सुनिश्चित करें कि पूछताछ के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन में अपेक्षित व्यक्ति को लिखित आदेश भेजा जाए। {सी.आर.पी.सी. की धारा 160 (1)}

2. यह सुनिश्चित करें कि पुलिस द्वारा निरूद्ध व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या उसके मित्रों को निरूद्ध व्यक्ति को जिस स्थान पर रखा गया है उसके संबंध में जानकारी हो।

3. यह सुनिश्चित करें कि जब कभी किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में निरूद्ध रखा जाए तो आम रोजनामचे में उसकी उचित प्रविष्टि की जाए।

   यह सुनिश्चित करें कि यदि जरूरत पड़े तो पुलिस द्वारा निरूद्ध व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाए। निरूद्ध व्यक्तियों से मानवोचित गरिमापूर्ण व्यवहार करें।

ऐसा न करें

1. किसी निरूद्ध व्यक्ति को यातना न दी जाए या उसे किसी प्रकार का क्रूर, अमानवीय या

अपमानजनक व्यवहार या सजा न दी जाए।

2. किसी निरूद्ध व्यक्ति को अपराध कबूलने, स्वयं को अपराध में फंसाने या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।

3. किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर लम्बी अवधि तक निरूद्ध नहीं रखा जाए क्योंकि इससे उस व्यक्ति का उत्पीड़न और दोषपूर्ण परिरोध हो सकता है।

अध्याय– 3

महिलाओं की सुरक्षा

भारत के संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्रथम दिया गया है। भारत में कानून प्रवर्तन के साथ महिलाओं के प्रति अपराध हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।[3]

क्या करें

1. यह सुनिश्चित करना कि किसी महिला की तलाशी उसकी निजता एवं मर्यादा को ध्यान में रखते हुए केवल महिला द्वारा ही ली जाए। {धारा–51 (2) आपराधिक दण्ड संहिता}

3. वर्ष 2007 के दौरान देश मे महिलाओं के प्रति अपराधों की कुल घटनाएँ (भा.द.सं. और एस.एल.ए. दोनों) घटित हुई।

2. यह सुनिश्चित करना कि किसी महिला संदिग्ध को पुलिस स्टेशन में अलग हिरासत में रखा जाए (सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य)।

3. जहाँ तक संभव हो, किसी महिला को गिरफ्तार करते समय किसी महिला पुलिस अधिकारी को साथ रखना चाहिए। {धारा 51(2) आपराधिक दण्ड संहिता)

4. आपकी जानकारी में आने वाले घरेलू हिंसा की किसी भी घटना की रिपोर्ट थाना प्रभारी को करें।

5. अपराध, विशेष रूप से बलात्कार एवं छेड़छाड़ की शिकार महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक पेश आएँ तथा उनकी निजता को उचित सम्मान दें।

6. घरेलू हिंसा के मामले में पीड़ित महिला को सुरक्षा आदेश द्वारा राहत पाने के उसके अधिकार के बारे में बताएं।[4]

4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 5।

क्या न करें

1. किसी मामले से जुड़ी किसी महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएँ। किसी महिला से पूछताछ केवल उसके निवास स्थान पर ही की जा सकती है {धारा 160 (1) आपराधिक दण्ड संहिता}

2. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं करें। {धारा 46 (4) आपराधिक दण्ड संहिता}

अध्याय– 4

बच्चों की सुरक्षा

भारत के संविधान– भाग III (मौलिक अधिकार') एवं भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त) में बच्चों के विकास एवं सुरक्षा के लिए उपबन्ध निहित हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000, 18 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा के लिए देश भर में न्याय के एक समान वैधानिक ढ़ाँचे की व्यवस्था करता है।

क्या करें

1. बच्चों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करें तथा यथासंभव सिविल पोशाक पहनकर ही उनसे पूछताछ करें।

2. यदि किसी बच्चे से पूछताछ की जानी हो तो उससे उस स्थान पर पूछताछ की जानी चाहिए जहाँ वह साधारणतः रहता है (धारा 160 आपराधिक दण्ड संहिता)

3. यह सुनिश्चित करें कि जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विशेष किशोर पुलिस यूनिट अथवा मनोनीत पुलिस अधिकारी की देखरेख में रखा जाना चाहिए। (किशोर न्याय देखरेख एवं सुरक्षा अधिनियम 2000 की धारा 10)

4. गिरफ्तारी की स्थिति में आगे की कार्रवाई तय करने से पहले बच्चे की उम्र सत्यापित करें।

5. गिरफ्तार करने पर यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को देरी किए बिना किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। किसी भी स्थिति में यह समय 24

घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए। (धारा 57 आपराधिक दण्ड संहिता)

6. फैक्टरियों, खानों एवं जोखिम भरे रोजगार में बच्चों को काम पर लगाने पर निषेध है (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24)। ऐसी किसी भी घटना की पहचान कर संबंधित प्राधिकारियों को उसका रिपोर्ट करें (बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 की धारा 3)

7. यदि किसी बच्चे को बंधुआ बना कर रखा गया हो तो उसे रिहा कराने के लिए कदम उठाएँ {बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976}

8. हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध है। इसे रोकने के लिए कदम उठाएँ।

क्या न करें

1. किसी बालिका को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएँ (धारा 160 आपराधिक दण्ड संहिता)
2. 15 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएँ (धारा 160 आपराधिक दण्ड संहिता)
3. पुलिस हिरासत में किसी किशोर को नहीं रखें (धारा 18, किशोर न्याय अधिनियम 1986)
4. 7 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को गिरफ्तार नहीं करें।[5]
5. गिरफ्तार किए गए किसी किशोर की पहचान का मीडिया को खुलासा नहीं करें।
6. किसी किशोर को किसी वयस्क के साथ आरोप पत्र दाखिल नहीं करें चाहें अपराध समान ही क्यों न हों।

5. 7 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। (भा.द.सं. की धारा 82)

अध्याय– 5

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का संरक्षण

2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मिलकर भारत की जनसंख्या का 24% हैं जिसमें अनुसूचित जाति 16% एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या 8% है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अत्याचारों को रोकने के लिए एक विशेष कानून है।

ऐसा करें

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सरोकार रखने वाले लोगों से कानून के समक्ष समान बर्ताव करें (अनुच्छेद 14, भारत का संविधान)
2. संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् किसी अपराध से संबंधित सूचना दें।

3. आप अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् दिए गए अधिकारों एवं सुरक्षा से अवगत कराएँ।

ऐसा न करें

1. किसी भी नागरिक से उसकी जाति के आधार पर भेद–भाव न करें (अनुच्छेद 15, भारतीय संविधान)

2. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबंधित लोगों से किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार न करें (अनुच्छेद 21, भारत का संविधान)

3. किसी को भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देने तथा उसे आचरण में लाने की अनुमति नहीं दें। (अनुच्छेद 17, भारत का संविधान)

अध्याय– 6

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा

बुढ़ापा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मानव जीवन चक्र में निरपवाद रूप से घटित होता है। यह अपने साथ बुजुर्गो के जीवन में कई चुनौतियाँ लेकर आता है विशेष रूप से मानव शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता में कमी के साथ। सभी नागरिकों तथा विशेष रूप से पुलिस का यह नैतिक दायित्व है कि वह वरिष्ठ नागरिकों (आयु 60 एवं उससे अधिक) के अधिकारों की रक्षा करें।[6]

ऐसा करें

1. बच्चों का यह कर्त्तव्य है कि यदि उनके माता–पिता स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते तो वे अपने बूढ़े माता एवं पिता की देखभाल करें (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125)

6. बुजुर्गों की राष्ट्रीय नीति 60 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के किसी व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करती है।

2. वरिष्ठ नागरिकों की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र/गश्त वाले इलाके में उनसे निरंतर संपर्क करते रहें।

3. किसी वरिष्ठ नागरिक की अनिवार्य गिरफ्तारी की स्थिति में उचित शिष्टता दिखाएँ तथा यथाशीघ्र उनका चिकित्सीय परीक्षण कराएँ।

4. जब कभी कोई वरिष्ठ नागरिक पुलिस थाने आए तो उसे उचित सम्मान दें तथा उसकी समस्या पर प्रमुखता से ध्यान दें।

ऐसा न करें

1. जब तक यह बिल्कुल आवश्यक न हो। किसी वरिष्ठ नागरिक को गिरफ्तार नहीं करें अथवा उसे निरूद्ध न रखें।

2. कानून एवं व्यवस्था की समस्या में पकड़े गए वरिष्ठ नागरिकों के साथ रूखेपन से अथवा कठोरता से व्यवहार न करें।

अध्याय– 7

अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण

हमारे संविधान के अनुचछेद 14,15 और 16 के अंतर्गत धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित हैं।[7]

ऐसा करें

1. अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को सावधानीपूर्वक एवं संवेदनशील तरीके से निपटाएं।

7. इस अध्याय में केवल धर्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है।

2. पूजा के स्थलों का नियमित रूप से दौरा करें तथा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले शरारती तत्त्वों पर निगाह रखें।

3. त्यौहारों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें तथा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निवारक उपायों को अपनाएं।

4. अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के घरों, पूजा स्थलों अथवा संस्थानों का दौरा करते समय उनकी भावनाओं एवं धार्मिक रिवाजों को यथोचित सम्मान दें।

5. अल्पसंख्यक समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नियमित संपर्क में रहें। द्वंद की स्थिति में उनका समर्थन आपके साथ होगा।

6. किसी भी धर्म को मानने एवं उसमें अपना विश्वास प्रकट करने के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें। {अनुच्छेद 25 (1) भारतीय संविधान}

7. सभी समुदायों के महत्त्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तियों के प्रति शिष्ट बनें।

ऐसा न करें

1. किसी भी धार्मिक समुदाय से संबंधित मामले का निपटान करते समय किसी प्रकार के पक्षपात का प्रदर्शन न करें।
2. धर्म के आधार पर नागरिकों के प्रति भेदभाव न करें {अनुच्छेद 15(1),(2), भारतीय संविधान}
3. धार्मिक विषयों से संबंधित किसी भी सूचना/शिकायत को अनदेखा न करें अथवा उस पर कार्रवाई में विलंब न करें।

अध्याय– 8

जबरन/बंधुआ मजदूरी एवं पुलिसिंग

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, बेगार और जबरन मजदूरी के अन्य समान तरीकों को निषेध करता है। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत, बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं उन्हें मुक्त कराना तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, सीधे तौर पर संबंद्ध राज्य सरकार का दायित्व है।

ऐसा करें

1. अपने इलाके/गश्त वाले क्षेत्र में जबरन/बंधुआ मजदूरी की प्रथा के विषय में सतर्क रहें तथा बंधुआ/ जबरन मजदूरी के किसी भी आरोपों के मामले में जिला प्राधिकारियों को तत्काल सूचना दें।

2. रिहा कराए गए मजदूरों को कार्य स्थल से निकालने में जिला प्राधिकारियों की सहायता करें।

3. मजदूर यदि समाज के कमजोर वर्गों जैसे बच्चे, महिलाएं, अल्पसंख्यक और अनु. जाति/अनु. जनजाति से संबंधित हों तो (विभिन्न अधिनियमों के तहत्) यथोचित कार्रवाई करें।

ऐसा न करें

1. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के उपबंधों के अंतर्गत अधिशासी मजिस्ट्रेट द्वारा उचित जांच के बिना मजदूरों को मुक्त न कराएँ।

2. वित्तीय मामलों के निपटान में स्वयं को संलिप्त न करें।

3. बंधुआ मजदूरों की मौजूदगी के संबंध में जांच के दौरान निर्णायक टिप्पणियां न करें।

4. दुःखी मजदूरों के सामने बेरूखी से व्यवहार न करें।

अध्याय– 9

मुठभेड़

पुलिस कार्यवाही के संदर्भ में 'मुठभेड़' सामान्यतः उस स्थिति के संबंध में कहा जाता है जब सशस्त्र अपराधियों/मुजरिमों के विरूद्ध पुलिस बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए घातक बल प्रयोग करती है। इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत पुलिस कर्मियों द्वारा सामान्यतः आत्मरक्षा में बल प्रयोग का सहारा लिया जाता है।

ऐसा करें

1. जब सशस्त्र अपराधियों/मुजरिमों से सामना हो तो सबसे पहले उन्हें चुनौती दें तथा समर्पण करने को कहें।

2. आक्रामक अपराधियों/मुजरिमों की कार्रवाई, जिससे आपको अथवा अन्य व्यक्तियों को मृत्यु

अथवा गंभीर चोट लगने का भय हो, से स्वयं और अन्य व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए केवल आत्म–रक्षा में ही बल प्रयोग करें (भा.दं.सं. की धारा 97)।

3. आत्म–रक्षा के लिए बल का प्रयोग केवल उसी समय शुरु करें जब आक्रामक अपराधियों/मुजरिमों द्वारा की गई कार्रवाई अथवा धमकी से आपके शरीर को पर्याप्त खतरे का भय हो। इसके अतिरिक्त, आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग केवल तभी तक जारी रहना चाहिए जब तक कि आपके शरीर को निरन्तर खतरे का भय हो (भा.दं.सं. की धारा 102)।

4. आत्मरक्षा के लिए उस हद तक बल प्रयोग, जिससे आक्रामक अपराधियों/मुजरिमों की मृत्यु हो जाए अथवा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान हो, केवल तभी करें जब उनके द्वारा किसी आक्रमण से आपको अथवा अन्य व्यक्तियों को मृत्यु अथवा गंभीर

चोट लगने के भय का पर्याप्त कारण हो (भा.दं.सं. की धारा 100)।

ऐसा न करें

1. अपराधियों/मुजरिमों को केवल शस्त्रों के साथ देखे जाने पर गोलीबारी का सहारा न लें।

2. अत्यधिक बल का प्रयोग न करें; आपके द्वारा प्रयुक्त बल की प्रकृति एवं मात्रा, आक्रामक अपराधियों/मुजरिमों द्वारा प्रयुक्त बल की प्रकृति एवं मात्रा के समानुपाती होनी चाहिए।

3. आक्रामक अपराधियों/मुजरिमों को अधिक हानि पहुँचाने के लिए उतनी मात्रा से अधिक बल का प्रयोग न करें जितना कि आपके शरीर और अन्य व्यक्तियों की रक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक है (भा.दं.सं. की धारा 99)।

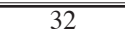

अध्याय– 10
आतंकवाद और पुलिसिंग

आतंकवाद 'कानून एवं व्यवस्था' की ऐसी चरमस्थिति है जिसमें उत्तेजक परिस्थितियों के अंतर्गत पुलिस से संतुलित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। आंतकवाद से निपटने में पुलिस कार्यवाही में आतंकी घटनाओं की जाँच, आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए घेरा डालना तथा तलाशी की कार्यवाहियाँ, आर.ओ.पी. (रोड़ ओपनिंग पार्टी) ड्यूटी, नागरिकों की तलाशी/छानबीन, चेकप्वांइट (नाका) ड्यूटी आदि, शामिल हैं।

ऐसा करें

1. अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। इससे आतंकियों तथा उनकी गतिविधियों के विषय में सूचना प्राप्त करने में सहायता होगी। स्थानीय व्यक्तियों से अच्छे संबंध

होने से पुलिस कार्रवाई के कारण आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में बहुधा उत्पन्न होने वाली अस्थिर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

2. किसी संदिग्ध मकान की तलाशी करते समय स्थानीय प्रतिनिधियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, साथ में लिया जाना चाहिए।

3. सार्वजनिक स्थानों में भौतिक तलाशी करते समय नागरिकों के साथ शिष्टता के साथ पेश आना चाहिए। महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मी द्वारा शालीनता के साथ की जानी चाहिए।

4. तलाशी अभियान अथवा चेक प्वाइंट ड्यूटी के दौरान महिलाओं के साथ अत्यधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वृद्धजनों एवं बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक पेश आना चाहिए।

5. गिरफ्तार किए गए आतंकियों के अधिकारों को

उसी प्रकार बनाए रखना चाहिए जैसा कि किसी गिरफ्तार किए गए मुजरिम अथवा अपराधी के मामले में किया जाता है।

6. जब सशस्त्र आतंकियों से सामना हो तो पहले उन्हें चुनौती दें तथा उन्हें समर्पण करने को कहें। आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग केवल उसी समय आरंभ किया जाना चाहिए जब आपको अथवा अन्य व्यक्तियों को मृत्यु अथवा गंभीर चोटें लगने की पर्याप्त आशंका हो।

7. पुलिस कार्यवाही के दौरान नागरिकों और उनकी संपत्ति को होने वाली समानान्तर क्षति को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

ऐसा न करें

1. मुठभेड़ों/तलाशी अभियानों के दौरान आतंकियों के विरुद्ध ढाल के रूप में नागरिकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

2. गिरफ्तार किए गए आतंकी से सूचना उगलवाने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक उत्पीड़न का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

3. आतंकवादी अथवा इस प्रकार के संदिग्ध को अवैध कारावास में नहीं रखना चाहिए।

4. आर.ओ.पी. ड्यूटी अथवा तलाशी अभियान के समय स्थानीय लोगों से भोजन अथवा अन्य सुविधाओं की माँग न करें।

5. आतंकी घटना के बाद अत्यधिक प्रतिक्रिया दिखाने से बचना चाहिए। घटना स्थल के आस–पास के नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

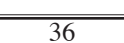

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग

नई दिल्ली–110 001

फोन: 011–23385368 फैक्स: 011–23384863

ई मेल: covdnhrc@nic.in वेबसाइट: www.nhrc.nic.in